न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

(1) **अपील संख्या :-25/2017/टोंक** (2017/00049)

1. चन्द्रशेखर दाधीच पुत्र स्व0 बृजमोहन, जाति ब्राहमण, नि0 बृजलालनगर राजस्थान बैंक के पास, मालपुरा, जिला टोंक ।
2. दामोदर प्रसाद दाधीच पुत्र स्व0 श्री बृजमोहन, जाति ब्राहमण, निवासी 5-एफ/2, प्रताप नगर, एन0आर0आई0 के सामने, हल्दी घाटी मार्ग, जयपुर ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्व0 बृजमोहन पत्नि निनेश राय, जाति ब्राहमण, निवासी मकान नं0 1935 खजाने वालों का रास्ता, दूसरा चौराहा, जयपुर।
2. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व0 बृजमोहन पत्नि हरिनारायण ब्राहमण, निवासी घटियाली, तह0 फागी, जिला जयपुर ।
3. श्रीमती कमला देवी पुत्री बृजमोहन पत्नि कैलाशचन्द ब्राहमण, नि0 हाल प्लॉट नंबर 28, सीताबाड़ी प्रिन्टस नगर, टोंक रोड़, जयपुर ।
4. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री स्व0 बृजमोहन पत्नि सुरेश मिश्रा, जाति ब्राहमण, निवासी हाल गोबिन्दगढ, जिला अजमेर ।
5. ग्राम पंचायत किरायावल जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत किरावल, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
6. सूर्यनारायण शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन ब्राहमण, नि0 प्लॉट नं0 8-सी-4, प्रताप नगर, जयपुर ।
7. औमप्रकाश पुत्र बृजमोहन शर्मा, नि90 प्लॉट नं0 17 दुर्गा बिहार, कमानी हाऊस के सामने, टोंक रोड़, जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा दिनांक 30.12.2008 .

उपस्थितः-

1. श्री अजीत लौढ़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री डूंगरसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.

निर्णय

दिनांकः-5.10.2017

अपीलांट्स ने अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2008 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने एक अपील ग्राम पंचायत पचेवर द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 6029 दिनांक 20.10.2003 को निरस्त किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष प्रस्तुत की । उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने निर्णय दिनांक 30.12.2008 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 6029 को अपास्त करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स के उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गई। xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट व उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये एवं ना ही कोई बहस की थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रस्तुत अपील में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं करके सीधे ही एकतरफा में तथाकथित नामांतकरण को अपास्त करने के आदेश पारित कर दिये जो विधिविरूद्ध है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व मियाद बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार बृजमोहन पुत्र मथुरालाल थे जिनके अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 6 व 7 पुत्र होकर विधिक वारिसान है। ग्राम पंचायत ने बाद जांच नामांतकरण संख्या 6029 दिनांक 20.3.2003 को पारित किया है । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 स्व0 बृजमोहन की पुत्रियां है तथा पुत्रियों को हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 के तहत विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत् राजस्व वाद भी विचाराधीन है तथा उक्त वाद के विचाराधीन रहते अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीकशुदा नामांतकरण को अपास्त किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट्स को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील

अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 30.12.2008 अपास्त किया जावे तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा को प्रेतिप्रेषित किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेंट्स ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात का मूल खातेदार अपीलांट्स एवं रेस्पो0 के पिता स्व0 बृजमोहन पुत्र मथुरालाल थे । बृजमोहन की मृत्यु उपरांत उनकी विरासत का नामांतकरण पुत्र एवं पुत्रियों में समान रूप से तस्दीक किया जाना चाहिये था किन्तु ग्राम पंचायत ने मृतक बृजमोहन की विरासत की जांच किये बिना नामांतकरण संख्या 6029 दिनांक 20.10.2003 को केवल पुत्रों के नाम तस्दीक किया है जो हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 के विपरीत है । अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस के दौरान न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए उल्लेख किया कि प्रश्नगत नामांतकरण के संबंध में पटवारी हल्का पचेवर ने मृतक बृजमोहन की विरासत का नामांतकरण सूर्यनारायण, चन्द्रशेखर, औमप्रकाश, दामोदर पि0 बृजमोहन एवं शांतिदेवी, कमला देवी, पुष्पादेवी पुत्रियां बृजमोहन के नाम भरा था जिसकी भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की जाकर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किये जाने पर ग्राम पंचायत ने पुत्रियों को छोड़ते हुए मात्र लड़कों के नाम नामांतकरण की कार्यवाही की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के अनुसार पुत्रियों का भी विवादित आराजियात में समान हक व अधिकार है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपील स्वीकार कर नामांतकरण को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, मालपुरा को मृतक बृजमोहन के वारिसान के नाम नियमानुसार नामांतकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट्स निरस्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । अपीलांट्स का कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं कर सीधे तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने निर्णय में मियाद के बिन्दु पर निष्कर्ष पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है एवं हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि प्रकरण में जहां विधिक तथ्य निहित हो वहां ऐसे प्रकरण को गुणावगुण पर ही निर्णित किया जाना चाहिये । प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के खातेदार बृजमोहन के फौत होने पर नामांतकरण संख्या 6029 दिनांक 20.10.2003 को अपीलांट्स एवं रेस्पो0 संख्या 6 व 7 के नाम भरा है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 भी मृतक खातेदार बृजमोहन की पुत्रियां है तथा अपीलांट्स ने भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया है । प्रस्तुत प्रकरण में नामांतकरण भरते समय पटवारी हल्का ने

भी मृतक बृजमोहन की विरासत का नामांतकरण अपीलांट्स संख्या 1 व 2 एवं रेस्पो0 संख्या 6 व 7 के साथ-साथ रेस्पो0 संख्या 1 से 4, जो कि बृजमोहन की पुत्रियां है, के नाम भी विरासत नामांतकरण भरकर प्रस्तुत किया था किन्तु ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्या 6029 केवल मृतक खातेदार के पुत्रों के नाम ही तस्दीक किया है तथा पुत्रियों का नाम नामांतकरण से हटा दिया गया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 मृतक खातेदार की पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 में वर्णित प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार के फौत होने पर उसके सभी वारिसान पुत्र एवं पुत्रियों का उसकी सम्पति में समान हक व हिस्सा होता है । ग्राम पंचायत ने नामांतकरण संख्या 6029 पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर पारित किया है जिसें विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखकर अधी0न्याया0 ने ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 6029 दिनांक 20.10.2003 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, मालपुरा को मृतक बृजमोहन के वारिसान के नाम नियमानुसार नामांतकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 25/2017 (2017/00049) बउनवानी चन्द्रशेखर बनाम श्रीमती चन्द्रकला व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 10/2004 बउनवान चन्द्रकला बनाम ग्राम पंचायत, पचेवर में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2008 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 5.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर